वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 245/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-09.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 09.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- बरदह: दहेज उत्पीड़न में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 30.06.25 को वादी मुकदमा सुरेश यादव पुत्र इन्दर ग्राम जमीन धमौर (कटरा), थाना-खुटहन, जिला-जौनपुर ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दी कि मै अपनी लड़की अन्जू की शादी वर्ष 2013 में सन्तोष यादव पुत्र दूधनाथ ग्राम-खन्नी (कोहरौली) थाना-बरदह, जिला-आजमगढ़ के साथ किया था। शादी के बाद मेरी पुत्री के ससुराल वाले दिये गये उपहार से सन्तुष्ट नहीं थे। मेरी पुत्री से बार-बार दहेज के रूप में 15 लाख रूपये की मांग करते थे। कहते थे कि 15 लाख रुपया अपने पिता से लेकर आओ, जिससे मैं ट्रक खरीदुँगा, उसी के लिए मेरी लड़की को बार-बार प्रताड़ित करते थे। घर के सभी लोग दबाव बनाते थे, जिसकी सूचना मेरी पुत्री ने मुझे फोन पर दिया था, और मेरे यहाँ आने पर भी बताई थी। तब मैने पाँच लाख रूपया की व्यवस्था करके दिया था. लेकिन और पैसों की मांग को लेकर बराबर प्रताड़ित करते थे। कई बार इन सब को समझाया बुझाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। घटना दिनांक 04.06.2025 को समय लगभग 8 बजे शाम की है। मेरी पुत्री ने मेरे पास लगभग आठ बजे शाम को फोन किया और बतायी कि मेरे साथ मेरे पाति, सास, ससुर ने जेठ कमलेश, जेठानी जो अखिलेश की पत्नी हैं के उकसाने में आकर मुझे गन्दी गन्दी गाली दिये और बहुत बुरी तरह से मारे-पीटें हैं। इतने में सन्तोष ने फोन छिन लिया और मुझसे कहा कि आज में सारा झगड़ा ही खतम कर दूँगा, तब मैने उसी समय नजदीकी रिश्तेदार राजकुमार को पुत्री का हाल जानने के लिए वहाँ भेजा, परन्तु रिश्तेदार राजकुमार से मिलने नहीं दिया गया और कहा गया कि सुबह आना लिवा जाना। रिश्तेदार राजकुमार वापस लौट आये मेरे फोन पर सुबह 5:12 बजे मोबाइल नं0-91370xxxx से फोन आया कि अन्जू को हार्ट अटैक आ गया है, तब मैं अपनी लड़की के ससुराल पहुँचा और देखा कि मेरी लड़की मर चुकी थी। जब मैने अपनी लड़की के गले में निशान और शरीर पर कई जगह चोट के निशान देखा। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/2025 धारा 108, 85, 352, बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1.संतोष पुत्र दूधनाथ (पति), 2.चम्पा देवी पत्नी दूधनाथ(सास), 3. दूधनाथ पुत्र तपसी यादव(ससुर), 4.कमलेश पुत्र दूधनाथ(जेठ), 5.अंजना यादव पत्नी अखिलेश(जेठानी) समस्त निवासीगण ग्राम कोहरौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– दिनांक 09.07.25 को उ0नि0 मनीष सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष यादव पुत्र दूधनाथ यादव ग्राम कोहरौली(खन्नी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़ कहीं भागने की फिराक में जिवली गांव के पास गांगी नदी पर बने पुल पर हाईवे के किनारे खडा है उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 10.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-संतोष यादव पुत्र दूधनाथ यादव ग्राम कोहरौली(खन्नी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- 1. मु0अ0सं0 193/2025 धारा 108, 85, 352, बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 मनीष सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 तूफानी पटेल थाना बरदह जनपद आजमगढ़

02.थाना निजामाबादः किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 29.06.25 को वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष घर में किसी को बिना बताये कही चले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01.07.25 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 240/25 धारा 137(2) BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 कमला प्रसाद द्वारा प्रारम्भ की गयी। पीड़िता की बरामदगी व बयान से अभियुक्त आनंद पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम गंधुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 115(2),87,65(1) BNS व 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 09.07.25 को उ0नि0 कमला प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आनंद पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को नन्दनगर बाजार से समय करीब 08.10 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया अभियुक्त को मा0 न्यायालय /जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-आनंद पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 240/25 धारा 115(2),87,137 (2),65(1) BNS व 3/4(2) पाक्सो एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण–

उ0नि0 कमला प्रसाद 2.हे0का0 आशीष मौर्या थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

03.थाना जीयनपुर: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1.रामधनी राम पुत्र पंचम निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ 2.गोविन्द पुत्र राजदेव निवासी कोलमोदीपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.मो0हारिश पुत्र अंसार निवासी अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना क्षेत्र महराजगंज से आवारा गोवंश को पकड़कर वध हेतु पैदल परिवहन करके ले जाते थे कि दौराने चेकिंग दिनांक 21.04.2024 को उ0नि0 शिवकुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा अभियुक्तगण 1.रामधनी राम पुत्र पंचम निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ 2.गोविन्द पुत्र राजदेव निवासी कोलमोदीपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.मो0हारिश पुत्र अंसार निवासी अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रतिबंधित पशु एक राशि गाय व दो राशि बछड़ा को वध हेतु ले जाते हुये पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0स0 117/2024 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम बनाम 1.रामधनी राम पुत्र पंचम निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ 2.गोविन्द पुत्र राजदेव निवासी कोलमोदीपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.मो0हारिश पुत्र अंसार निवासी अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0अनुज कुमार पाण्डेय थाना बिलरियागंज द्वारा सम्पादित की गयी। उक्त के क्रम में-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बिलरियागंज सुनील कुमार दूबे की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 28.02.2025 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 06.03.2025 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष बिलरियागंज सुनील कुमार दूबे की तहरीर पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 62/2025 धारा 2(B)(17)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1.रामधनी राम पुत्र पंचम निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ 2.गोविन्द पुत्र राजदेव निवासी कोलमोदीपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.मो0हारिश पुत्र अंसार निवासी अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना मुझ थानाध्यक्ष द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 09.07.2025 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा उपरोक्त गैंगेस्टर के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त रामधनी राम पुत्र पंचम निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ उम्र 53 वर्ष को चुनहवा चौराहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के पास से समय करीब – 05:35 बजे सुबह गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास– रामधनी राम पुत्र पंचम निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ मु0अ0स0 117/2024 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़

2.उ0नि0मनोज सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़

3.हे0का0 राजेश कुमार थाना जीयनपुर आजमगढ़

4. का0 हरिकिशन मौर्या थाना जीयनपुर आजमगढ़

5.का0अवधेश कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़